

बिहार सरकार कृषि विभाग

पत्रांक : 117/बामेती/2014-15/2010

दिनांक - 02/03/16

प्रेषक

विजय प्रकाश, मा0प्र0से0

कृषि उत्पादन आयुक्त

बिहार, पटना

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद

सभी जिला कृषि पदाधिकारी

सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)

विषय:- जिला/प्रखंड किसान सलाहकार समितियों का गठन नई नियमावली के आलोक में कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य/जिला/प्रखंड किसान सलाहकार समितियों के गठन हेतु कृषि विभाग द्वारा अनुदेश तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है तथा नये अनुदेश के आलोक में नये सिरे से समितियों के गठन करने का निर्णय लिया गया है। पुरानी समितियों को भंग/विघटित करने तथा राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर नई समितियों के गठन हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाता है जो निम्न प्रकार से है-


क्र0सं0	कार्य विवरण	प्रखंड किसान सलाहकार समिति
1	2	3
1.	प्रखंडों में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	06.04.2016 तक
2.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला में चयन समिति को आवेदन पत्र भेजने की तिथि	08.04.2016 से 13.04.2016
3.	समिति के गैर सरकारी सदस्यों के चयन करने की तिथि	14.04.2016 से 22.04.2016
4.	समिति के अध्यक्ष के चयन की तिथि	25.04.2016 से 29.04.2016
5.	प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा जिला किसान सलाहकार समिति के लिए सदस्य को चयन करने की तिथि	02.05.2016 से 04.05.2016
6.	जिला किसान सलाहकार समिति द्वारा राज्य किसान सलाहकार समिति के लिए सदस्य को चयन करने की तिथि	05.05.2016 से 10.05.2016
7.	पुरानी जिला/प्रखंड किसान सलाहकार समिति का भंग/विघटन की अंतिम तिथि	17.05.2016

यह भी सूचित करना है कि नई जिला/प्रखंड किसान सलाहकार समिति के गठन होने के बाद पुरानी समितियों स्वतः समाप्त समझी जाएगी। यह भंग/विघटन की अंतिम तिथि है।

अतः अनुरोध है कि नई नियमावली के अनुसार उपर्युक्त समय सीमा के अंदर जिला/प्रखंड किसान सलाहकार समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाए तथा राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति के गठन हेतु प्रत्येक जिला से 01-01 गैर सरकारी सदस्यों को चयनित/मनोनीत किया जाए तथा इसकी सूचना निदेशक बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त।


 कृषि उत्पादन आयुक्त
 बिहार, पटना

171

ज्ञापांक : 117 / बामेती / 2014-15 / 2010

दिनांक - 02/03/16

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक कृषि, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lat कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना

170

ज्ञापांक : 117 / बामेती / 2014-15 / 2010

दिनांक - 02/03/18

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक कृषि, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 117 / बामेती / 2014-15 /

दिनांक -

प्रतिलिपि - माननीय कृषि मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Shab
Om
26.2.18
कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना

राज्य / जिला / प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश

1. **परिचय** — नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2014 में कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया गया है जिसके कंडिका -8 के अनुसूची 1 (f) में राज्य / जिला / प्रखंड स्तर पर किसान सलाहकार समितियों एवं इसके अनुसूची 1(e) में प्रखंड तकनीकी दल के गठन के लिए अनुदेश निर्गत किया गया है। पूर्व में प्रखंड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र (FIAC) गठित थी जिसका नाम बदलकर प्रखंड किसान सलाहकार समिति कर दिया गया है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला किसान सलाहकार समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य किसान सलाहकार समिति का गठन किया जाना है।
2. **समितियों के गठन का उद्देश्य** — इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य किसानों की भागीदारी से दूसरी सेवाओं एवं विकास की गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं संगठनात्मक सलाहकार के रूप में कार्य करना है। कृषि एवं कृषि के सम्बद्ध विभागों के लिए किसानों के परामर्श से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना तथा उनसे फीडबैक प्राप्त कर आने वाली कठिनाइयों को दूर करना समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ यह कृषि की आधुनिक तकनीकी को किसानों के बीच प्रचारित करेगी।
3. **प्रखंड किसान सलाहकार समिति का गठन** —
 - 3.1. **समिति की संरचना**

क्र० सं०	समिति के सदस्यों का विवरण	सदस्य का पेशा	सदस्यों की सं०	सदस्य का प्रकार
1.	चयन समिति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से चयनित किसान	किसान	—	अध्यक्ष

2.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	कृषि	01	सदस्य
3.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति/ जनजाति)	कृषि	01	सदस्य
4.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	उद्यान	01	सदस्य
5.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति/ जनजाति)	उद्यान	01	सदस्य
6.	प्रगतिशील महिला किसान	कृषि	02	सदस्य
7.	प्रगतिशील महिला किसान	उद्यान	02	सदस्य
8.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	पशुपालन	01	सदस्य
9.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति/ जनजाति)	पशुपालन	01	सदस्य
10.	प्रगतिशील महिला किसान	पशुपालन	02	सदस्य
11.	खाद्य सुरक्षा समूह (महिला)/ महिला मंडल/ महिला समूह	कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन/ डेयरी	02	सदस्य
12.	स्वयं सहायता समूह / किसान क्लब / किसान उत्पादक समूह/ किसान समूह (सभी पुरुष)	तथैव	02	सदस्य
13.	कृषक हित समूह	कृषि/ पशुपालन/ मत्स्यपालन/ डेयरी	01	सदस्य

14.	अनुज्ञप्ति प्राप्त उपादान बिक्रेता	बीज / खाद / कीटनाशी / कृषि यंत्र	02	सदस्य
15.	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	नौकरी	01	सदस्य
16.	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	आत्मा द्वारा अनुबंध पर नियोजित	01	सह सदस्य सचिव
17.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	नौकरी	01	सदस्य सचिव
कुल			22	

3.2. समिति के अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों का चयन/मनोनयन

I. चयन/मनोनयन हेतु चयन समिति का गठन –

क्र०सं०	सदस्य का विवरण	सदस्य का प्रकार
1.	जिला कृषि पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक निदेशक, उद्यान	सदस्य
3.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
4.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
5.	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
6.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य सचिव

II. चयन समिति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का चयन तथा गैर सरकारी सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।

III. समिति के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के गठन से संबंधित सूचना निर्गत की जाएगी तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।

3.3. अपिलीय प्राधिकार – उपर्युक्त समितियों के गठन तथा गैर सरकारी सदस्यों के चयन से संबंधित आपत्ति/अपील जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के समक्ष की जाएगी जिनका निर्णय अंतिम होगा।

3.4. प्रखंड किसान सलाहकार समितियों के गठन हेतु सदस्यों/अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया—

3.4.1. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) अंतर्गत किसान सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों/अध्यक्षों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया का प्रस्ताव अनुदेश में दिया गया है—

3.4.1.1. इच्छुक किसान निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची-1) में अपना आवेदन पत्र अपने प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ जमा करेंगे तथा सभी सूचनाओं को अंकित करते हुए वांछित प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करेंगे।

3.4.1.2. आवेदक किस प्रक्षेत्र/कोटि के लिए सदस्य बनना चाहते हैं उसका आवेदन में उल्लेख करेंगे।

3.4.1.3. संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदनपत्रों को अनुलग्नक सहित जाँचोपरांत परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।

3.4.1.4. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

3.4.1.5. जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य/अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित शर्तों एवं मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा —

3.5. प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य के चयन हेतु शर्तें —

3.5.1. आवेदित किसान (उपादान बिक्रेता छोड़कर) को अपने संबंधित प्रक्षेत्र/कोटि के लिए निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा —

- आवेदित किसान आत्मा अंतर्गत कृषक हित समूह अथवा खाद्य सुरक्षा समूह/ पैक्स/नाबार्ड द्वारा निबंधित किसान क्लब का सदस्य हों।

- आवेदित किसान अपने प्रक्षेत्र (कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन/ गव्य विकास) में सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
 - आवेदित किसान को अपने आवेदित प्रक्षेत्र में कोई पुरस्कार अथवा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो।
 - आवेदित किसान अपने प्रक्षेत्र में तकनीकी जानकारी हेतु आत्मा अथवा सरकारी/ अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान से राज्य के बाहर/अंदर परिभ्रमण किया हो।
 - आवेदित किसान अपने खेतों के मिट्टी की स्वास्थ्य जाँच कराया हो।
- 3.5.2. आवेदक के आवेदित प्रक्षेत्र/कोटि में 2 या 2 से अधिक आवेदन होने पर अधिकतम शर्तों को पूरा करने वाले किसान को प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा।
- 3.5.3. अगर आवेदक के आवेदित प्रक्षेत्र/कोटि में 2 या 2 से अधिक किसान कंडिका सं0- 3.5.1. में उल्लेखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो अधिकतम प्रशिक्षण एवं पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसान को सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा।
- 3.5.4. अगर आवेदक के आवेदित प्रक्षेत्र/कोटि में 2 या 2 से अधिक किसान उपर्युक्त कंडिका 3.5.1. एवं 3.5.2 में अंकित सभी शर्तों को समान रूप से पूरा करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ प्रमंडल स्तर से पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्य कृषि/उद्यान महाविद्यालयों/जिला स्तर पर पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को द्वितीय वरीयता मानकर चयन किया जाएगा तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसान को तीसरी वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा।

3.6. अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें –

- 3.6.1. गैर सरकारी सदस्यों (उपादान बिक्रेता छोड़कर) के बीच से उपर्युक्त कंडिका सं० 3.5.1. में उल्लेखित अधिकतम शर्तों को पूरा करने वाले किसान को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाएगा।
- 3.6.2. अगर 2 या 2 से अधिक किसान उपर्युक्त कंडिका सं० 3.5.1. में अंकित शर्तों को समान रूप से पूरा करते हैं तो कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन/ डेयरी प्रक्षेत्रों में से अधिकतम प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसान को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाएगा।
- 3.6.3. अगर 2 या 2 से अधिक किसान उपर्युक्त कंडिका सं० 3.6.1. एवं 3.6.2 में अंकित शर्तों को समान रूप से पूरा करते हैं तो सभी क्षेत्रों में अधिकतम प्रशिक्षण एवं पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसान को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाएगा।
- 3.6.4. अगर 2 या 2 से अधिक किसान उपर्युक्त कंडिका सं० 3.6.1., 3.6.2. एवं 3.6.3. में अंकित शर्तों को समान रूप से पूरा करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/प्रमंडल स्तर से पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्य कृषि/उद्यान महाविद्यालयों/जिला स्तर पर पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसानों को द्वितीय वरीयता मानकर चयन किया जाएगा तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसान को तीसरी वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा।
- 3.6.5. अगर किसी कारणवश प्रखंड किसान सलाहकार समिति का कोई सदस्य बीच में ही त्यागपत्र दे देता है तो उस पद पर नए सदस्य का चयन होने पर अध्यक्ष पद के लिए उनका दावा वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद ही लागू माना जाएगा।
- 3.6.6. अनुज्ञप्ति प्राप्त उपादान बिक्रेताओं का चयन प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा।

3.7. प्रखंड किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

- क. गैर सरकारी सदस्यों एवं समिति का कार्यकाल 02 वर्षों का होगा।
- ख. किसी सदस्य के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर नए सदस्यों का चयन शेष अवधि के लिए ही चयन समिति द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।
- ग. अध्यक्ष का चयन 01 वर्ष के लिए किया जाएगा तथा कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में उन्हें 01 वर्ष का अवधि विस्तार चयन समिति द्वारा दिया जाएगा।
- घ. अगर समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो प्रखंड स्तरीय किसान सलाहकार समिति की अनुशंसा के आलोक में उसकी सदस्यता चयन समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
- ङ. कोई भी गैर सरकारी सदस्य लगातार 02 बार अर्थात् 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। परन्तु अगले 02 साल बाद चयन समिति द्वारा पुनः उनका चयन किया जा सकता है।
- च. 02 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 02 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कराकर नए समिति का गठन तथा नए अध्यक्ष का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु यह वर्तमान समिति के 02 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही लागू माना जाएगा।

3.8. प्रखंड किसान सलाहकार समिति का वित्तीय प्रबंधन

- क. प्रखंड किसान सलाहकार समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वीप के साथ चालू/बचत खाता खोला जाएगा जिसका संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव-सह-प्रखंड कृषि पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। पूर्व में किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र (FIAC) के नाम से खोला गया खाता को बंद अथवा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के नाम से स्थानांतरित किया जा सकता है।
- ख. प्रखंड कृषि पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव एक बार में ₹0 10,000/- (₹0 दस हजार मात्र) तक एकल (अपने) हस्ताक्षर से इस खाते से निकासी कर अभिश्रव का भुगतान कर सकेंगे। ₹0 10,000/- से

अधिक के अभिश्रवों का भुगतान/राशि की निकासी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

- ग. खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक, आत्मा को अविलम्ब उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- घ. प्रखंड किसान सलाहकार समिति के खाते में प्राप्त, खर्च एवं अवशेष राशि के लेखा संधारण के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- ङ. प्रखंड कृषि पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक में समिति को प्राप्त एवं खर्च राशि का लेखा-जोखा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

3.9. समिति की बैठक – प्रखंड किसान सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक मौसम में महीना में एक बार होगी तथा मौसम के लीन/ऑफ पीरिएड में त्रैमासिक होगी। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एक महीने के अंदर भी बैठक बुला सकते हैं।

3.10. समिति के सदस्यों का दायित्व

- प्रत्येक पखवारे में एक बार प्रखंड तकनीकी दल के साथ बैठक कर अगले पखवारे की कार्य योजना पर चर्चा करके किसानों का फीड बैक देगी।
- यह समिति प्रखंड तकनीकी दल के साथ सजीव संवाद रखते हुए प्रखंड कृषि प्रसार की वार्षिक कार्ययोजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी।
- यह समिति कृषि क्षेत्र की समस्याओं तथा उसके समाधान पर प्रखंड तकनीकी दल (BIT) को जानकारी/सुझाव देगी।
- यह समिति अपने प्रखंड की सफल कहानियों, कृषि में अनुभूत प्रयोगों एवं देशज परंपरागत ज्ञान (Indigenous Knowledge) की पहचान एवं उसकी ग्राह्यता बढ़ाने की दिशा में प्रखंड तकनीकी दल को मदद करेगी।

- यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन संबंधी समस्याओं को प्रखंड तकनीकी दल को अवगत कराने का कार्य करेगी।
- प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय-समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य किसानों के बीच प्रचारित/प्रसारित कर सकें।
- यह समिति प्रखंड में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देने में उन्हें प्रोत्साहित करेगी।

4. जिला किसान सलाहकार समिति

4.1. समिति का गठन –

क. जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

क्र० सं०	समिति के सदस्यों का विवरण	पेशा	सदस्य की सं०	सदस्य का प्रकार
1.	जिला कृषि पदाधिकारी	नौकरी	01	अध्यक्ष
2.	जिले के प्रत्येक प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा चयनित/मनोनीत सदस्य	कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन / डेयरी	प्रत्येक प्रखंड से 01	सदस्य
3.	जिला में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत/ख्याति प्राप्त प्रगतिशील किसान	तथैव	01	सदस्य
4.	जिला में अनुसूचित जाति/जनजाति से प्रगतिशील किसान	तथैव	01	सदस्य
5.	जिला में महिला प्रगतिशील किसान/ खाद्य सुरक्षा समूह (महिला) अथवा महिला समूह के प्रतिनिधि	तथैव	01	सदस्य

6.	जिला में अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषि उपादान बिक्रेता/कम्पनी/ प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि/ कृषक उत्पादक संगठन का प्रतिनिधि	कृषि उपादान बिक्री व्यवसाय	01	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, आत्मा	नौकरी	01	सदस्य सचिव

4.2. जिला स्तरीय समिति एवं गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अवधि एवं चयन की प्रक्रिया –

- क. प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड से अपने सदस्यों के बीच (उपादान बिक्रेताओं एवं सरकारी सदस्यों को छोड़कर) से 01 सदस्य को जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयनित/मनोनीत किया जाएगा तथा बैठक की कार्यवाही सहित सूचना परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।
- ख. जिला स्तरीय अन्य गैर सरकारी सदस्यों का चयन कंडिका सं० 3.2.1. में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
- ग. जिला स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों एवं इस समिति का कार्यकाल 02 वर्षों के लिए होगा। वर्तमान समिति के कार्यकाल समाप्ति के 02 वर्षों के बाद नए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत/चयनित किए जायेंगे। 04 वर्षों के बाद ही पुराने गैर सरकारी सदस्य पुनः चयनित किए जा सकते हैं।
- घ. प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा चयनित किसी गैर सरकारी सदस्य के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपर्युक्त अनुदेश के आलोक में संबंधित सदस्य का चयन शेष अवधि के लिए किया जाएगा।
- ङ. जिला स्तरीय अन्य गैर सरकारी सदस्यों का चयन आत्मा प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।
- च. 02 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 02 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कराकर नए समिति का गठन तथा गैर सरकारी सदस्यों का चयन

किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु यह 02 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही लागू माना जाएगा।

4.3. समिति का वित्तीय प्रबंधन –

- क. जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त एवं खर्च राशि का लेखा प्रबंधन आत्मा शासी परिषद द्वारा किया जाएगा।
- ख. गैर सरकारी सदस्यों को आत्मा शासी परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के समतुल्य आने-जाने के लिए नियत यात्रा भत्ता देय होगा। परन्तु यह सिर्फ तिमाही/विशेष बैठकों के लिए ही देय होगा।

4.4. समिति की बैठक –

- क. जिला किसान सलाहकार समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से होगी तथा प्रमुखतः यह आत्मा प्रबंधन समिति के बैठक के पूर्व होगी।
- ख. इस समिति की बैठक तीन महीने के अंदर भी आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है।

4.5 समिति एवं समिति के सदस्यों का दायित्व

- जिला किसान सलाहकार समिति की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीन माह (तीन माह से पूर्व भी) में कम से कम एक बार आयोजित की जा सकती है, जो अगली तिमाही की कार्य योजना पर अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा कर आत्मा शासी परिषद/आत्मा प्रबंधन समिति को फीड बैक देगी।
- जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति द्वारा अपने गैर सरकारी सदस्यों (उपादान बिक्रेता को छोड़कर) के बीच से एक सदस्य को राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयन/मनोनीत किया जाएगा तथा बैठक की कार्यवाही सहित सूचना निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाएगी।
- यह समिति आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) के साथ सजीव संवाद रखते हुए जिला कृषि प्रसार की वार्षिक कार्ययोजना को बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करेगी।
- इस समिति का उद्देश्य कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र की समस्याओं पर आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) को जानकारी देना है।

- यह समिति अपने जिला की सफल कहानियों, कृषि में अनुभूत प्रयोगों एवं देशज परंपरागत ज्ञान (Indigenous Knowledge) की पहचान एवं उसकी ग्राह्यता बढ़ाने की दिशा में आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) को मदद करेगी।
- यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन संबंधी समस्याओं को आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) को अवगत कराने का कार्य करेगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय-समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी जानकारी को अन्य किसानों के बीच प्रसारित कर सकें।
- यह समिति जिला में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देने में उन्हें प्रोत्साहित करेगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति का कोई सदस्य लगातार तीन या तीन से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति के किसी भी सदस्य के त्याग-पत्र की मंजूरी समिति के अध्यक्ष-सह-जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
- इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता अवधि आत्मा शासी परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत सदस्य सचिव द्वारा सूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों तक के लिए होगी।



5. राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति

5.1. समिति का गठन

क. राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

क्र० सं०	समिति के सदस्यों का विवरण	पेशा	सदस्य की सं०	सदस्य का प्रकार
1.	राज्य नोडल पदाधिकारी, (आत्मा योजना), बिहार	नौकरी	01	अध्यक्ष
2.	प्रत्येक जिला किसान सलाहकार समिति द्वारा चयनित / मनोनीत सदस्य	कृषि / उद्यान / पशुपालन / मत्स्यपालन / डेयरी	प्रत्येक जिला से 01	सदस्य
3.	राज्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत / ख्याति प्राप्त प्रगतिशील किसान	तथैव	01	सदस्य
4.	राज्य में अनुसूचित जाति / जनजाति से प्रगतिशील किसान	तथैव	01	सदस्य
5.	राज्य में महिला प्रगतिशील किसान	तथैव	01	सदस्य
6.	राज्य में अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषि उपादान बिक्रेता / कम्पनी / प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि / कृषक उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि	कृषि उपादान बिक्री व्यवसाय	01	सदस्य
7.	निदेशक बामेती, बिहार, पटना	नौकरी	01	सदस्य सचिव

5.2. समिति एवं गैर सरकारी सदस्यों की कार्य अवधि एवं चयन की प्रक्रिया –

- क. राज्य स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों (प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा चयनित गैर सरकारी सदस्य को छोड़कर) का चयन निदेशक, बामेती एवं राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) की अनुशंसा पर कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार –सह– अध्यक्ष अंतर्विभागीय कार्य समूह द्वारा किया जाएगा।
- ख. राज्य स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्षों के लिए होगा। 02 वर्षों के बाद नए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत/चयनित किए जायेंगे। परन्तु 04 वर्षों के बाद पुराने गैर सरकारी सदस्य पुनः चयनित किए जा सकते हैं।
- ग. किसी गैर सरकारी सदस्य के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपर्युक्त अनुदेश के आलोक में संबंधित सदस्य का चयन शेष अवधि के लिए किया जाएगा।
- घ. 02 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 02 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कराकर नए समिति का गठन तथा गैर सरकारी सदस्यों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु यह 02 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही लागू माना जाएगा।

5.3. समिति का वित्तीय प्रबंधन –

- क. राज्य अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त एवं खर्च राशि का लेखा प्रबंधन निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।
- ख. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा योजना) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों को आने-जाने के लिए नियत यात्रा भत्ता देय होगा अथवा अंतर्विभागीय कार्य समूह द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा। परन्तु यह सिर्फ तिमाही/विशेष बैठकों के लिए ही देय होगा।

5.4. समिति की बैठक —

- क. राज्य किसान सलाहकार समिति की सामान्य बैठक त्रैमासिक रूप से होगी।
- ख. इस समिति की बैठक तीन महीने के अंदर भी आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है।

5.5 समिति के सदस्यों का दायित्व

- राज्य किसान सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह (तीन माह से पूर्व भी) में कम से कम एक बार आयोजित की जा सकती है, जो अगली तिमाही की कार्य योजना पर अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा कर अंतर्विभागीय कार्य समूह को फीड बैक देगी।
- यह समिति बामेती शासी परिषद/अंतर्विभागीय कार्य समूह के साथ सजीव संवाद रखते हुए राज्य कृषि प्रसार की वार्षिक कार्ययोजना को बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करेगी।
- इस समिति का उद्देश्य कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र की समस्याओं पर बामेती शासी परिषद को जानकारी देना होगा।
- यह समिति अपने राज्य की सफल कहानियों, कृषि में अनुभूत प्रयोगों एवं देशज परंपरागत ज्ञान (Indigeneous Knowledge) की पहचान एवं उसकी ग्राह्यता बढ़ाने की दिशा में बामेती शासी परिषद/अंतर्विभागीय कार्य समूह को मदद करेगी।
- यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन संबंधी समस्याओं को बामेती शासी परिषद/अंतर्विभागीय कार्य समूह को अवगत कराने का कार्य करेगी।
- राज्य किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय-समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य किसानों के बीच प्रसारित/प्रचारित कर सकें।
- यह समिति राज्य में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देने में उन्हें प्रोत्साहित करेगी।
- राज्य किसान सलाहकार समिति का कोई सदस्य लगातार तीन या तीन से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

- राज्य किसान सलाहकार समिति के किसी भी सदस्य के त्याग-पत्र की मंजूरी निदेशक बामेती के अनुशंसा पर अंतर्विभागीय कार्य समूह/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार-सह-अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी।
- इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता अवधि अंतर्विभागीय कार्य समूह/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार-सह-अध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा सूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों तक के लिए होगी।


02/3/16
निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

प्रखंड तकनीकी दल का गठन

152

1. **परिचय** – प्रखंड तकनीकी दल प्रखंड स्तर पर कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में कार्य करने हेतु अंतर्विभागीय समूह है, जो प्रखंड स्तर पर किसानों एवं किसान सलाहकार समिति के सदस्यों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
2. **संरचना** – प्रखंड स्तरीय तकनीकी दल के सदस्यों की संरचना निम्न प्रकार से होगी –

क्र० सं०	तकनीकी दल के सदस्यों का विवरण	सदस्य का प्रकार
1.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	संयोजक
2.	प्रखंड पंचायत समिति द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
3.	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
4.	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा नामित वैज्ञानिक	सदस्य
5.	प्रखंड उद्यान निरीक्षक	सदस्य
6.	प्रखंड मत्स्य निरीक्षक	सदस्य
7.	प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	सदस्य
8.	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य
9.	पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक	सदस्य
10.	उद्योग प्रसार पदाधिकारी	सदस्य
11.	रेशम विकास पदाधिकारी	सदस्य
12.	कृषि से संबद्ध विभागों के अन्य प्रखंड स्तरीय तकनीकी पदाधिकारी	सदस्य
13.	प्रखंड मुख्यालय के कृषि समन्वयक	सदस्य
14.	अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषि उपादान बिक्रेता	सदस्य
15.	प्रखंड तकनीकी प्रबंधक	सदस्य सचिव

3. **प्रखंड तकनीकी दल के सदस्यों का दायित्व** –

3.1 प्रत्येक प्रखंड में Strategic Research and Extension Plan (SREP) के अनुसार कार्य करना तथा सिंगल बिन्डो प्रसार प्रणाली को लागू कराना।

- 3.2 प्रखंड के लिए प्रसार कार्यक्रमों से संबंधित कार्य योजना तैयार करना।
- 3.3 प्रखंड कार्ययोजना में अंकित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
- 3.4 प्रखंड तकनीकी दल के संयोजक प्रत्येक पखवारे में एक बार तिथि निर्धारित कर किसान सलाहकार समिति के साथ बैठक कर अगले पखवारे की कार्ययोजना बनाना एवं पिछले पखवारे के गतिविधियों की समीक्षा करना।
- 3.5 किसान सलाहकार समितियों के माध्यम से सम्पादित होने वाले सभी गतिविधियों का जिम्मेवारी पूर्वक संचालन एवं उपलब्ध सामग्री (तकनीकी साहित्य पुस्तकें, लीफ लेट, पम्पलेट आदि) के माध्यम से कृषि के नवीनतम तकनीकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराना।
- 3.6 जिले के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र की सहायता से अनुसंधान एवं प्रसार की गतिविधियों को गति प्रदान करना।
- 3.7 कृषि से जुड़े उपादानों, सेवाओं, विपणन, प्रसंस्करण आदि उद्यमों एवं संस्थानों के साथ प्रभावी ताल-मेल स्थापित कर कृषि क्षेत्र के सम्यक विकास के लिए प्रयत्न करना।
- 3.8 परम्परागत तकनीकी एवं देशज्ञ ज्ञान एवं सफल कहानियों की पहचान करना तथा उसे किसानों के बीच प्रचारित कराना।
- 3.9 समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों एवं सफल संस्थानों का परिभ्रमण एवं प्रत्यक्षण आयोजित करना।
- 3.10 कृषक हित समूह, खाद्य सुरक्षा समूह एवं किसान समूह का प्रखंड स्तर पर गठन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- 3.11 प्रखंड में कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में क्षेत्र पाठशाला का संचालन करना एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
- 3.12 प्रखंड तकनीकी दल की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी तथा प्रखंड स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा कर समीक्षा प्रतिवेदन आत्मा प्रबंधन समिति को उपलब्ध करायेगी।

23/3/16

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)

अंतर्गत

जिला/प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयन हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

परियोजना निदेशक, आत्मा

द्वारा- प्रखंड कृषि पदाधिकारी

पासपोर्ट साइज के
आवेदक का
स्वअभिप्रमाणित फोटो

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री..... पिता/पति का नाम :-

ग्राम :- पो0 :-..... थाना :- प्रखंड :-

..... जिला :- का रहने वाला/वाली हूँ। मैं प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयन हेतु अपने कार्य से संबंधित निम्न सूचनाएं समर्पित कर रहा/रही हूँ :-

1. आवेदक का दूरभाष/मोबाईल सं०

2. आवेदक का प्रक्षेत्र/कोटि -

(कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्यपालन/डेयरी विकास/अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला)

3. आवेदक की श्रेणी - सामान्य/ अनुसूचित जाति/ जनजाति

(अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य सक्षम प्राधिकार से जाति प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

4. विगत/वर्तमान वर्ष में किए गए/किए जा रहे कार्यों का विवरण

क्र.सं.	प्रक्षेत्र एवं मौसम का नाम	फसल/ईकाई का नाम	फसल क्षेत्र (एकड़ में) / सं०	कुल उत्पादन (किलोग्राम में)	कुल आय रू० में
1.	कृषि	खरीफ			
		रबी			
		गरमा			
2.	उद्यान	खरीफ			
		रबी			
		गरमा			
3.	पशुपालन				
4.	मत्स्यपालन				
5.	गव्य विकास				
	कुल				

5. क्या आप आत्मा अंतर्गत किसान हित समूह अथवा खाद्य सुरक्षा समूह/पैक्स/नाबार्ड के किसान क्लब के सदस्य हैं? – हाँ/नहीं

(अगर हाँ तो प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

6. क्या आपने सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान से कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्यपालन/गव्य विकास में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? – हाँ/नहीं

(अगर हाँ तो संबंधित प्रक्षेत्र पर ✓ का निशान लगावें तथा प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें)

7. क्या आपको कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्यपालन/गव्य विकास के क्षेत्र में कोई पुरस्कार अथवा प्रशस्ति पत्र मिला है? --हाँ/नहीं

(अगर हाँ तो संबंधित प्रक्षेत्र पर ✓ का निशान लगावें तथा प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें)

8. क्या आपने कृषि एवं कृषि के सम्बद्ध क्षेत्र में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु आत्मा अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान से राज्य के बाहर/अंदर परिभ्रमण किया है?

–हाँ/नहीं

(अगर हाँ तो प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

9. क्या आपने अपने खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य जाँच कराया है? –हाँ/नहीं

(अगर हाँ तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रति/प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जबावदेह होंगे तथा मेरा आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर